नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मि० नं० 8/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.9.18	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित है। वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य, वाद पत्र के माध्यम से वांछित अनुतोष, प्रतिवादी के जवाब एवं वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात सहित पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण पर सम्यक विचार किया। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर से "माफी रिज्यूम" शब्द के अंकन को हटाये जाने का अनुतोष चाहा गया, तथा प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में राजहित प्रभावित नहीं होने तथा भूमि के क्रम में रहन मुक्त का नामा० दायर किया जाकर प्रक्रियाधीन रहने संबंधी अंकन किया गया है। जवाब में प्रतिवादी द्वारा वादीगण के अनुतोष को नकारा नहीं है। दिनांक 21.6.18 को प्रस्तुत जवाब शामिल मिसल है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के कथनों के समर्थन में निम्न - दस्तावेजात प्रस्तुत किये। -क्रमशः-	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए तारीख हुक्म
	दाखिल प्रति नकल जमाबंदी ग्राम खैराबाद सं० 2072-75 खाता नम्बर 1196, सहकारी भूमि विकास बैंक लि० कोटा रजि० नं० 1469/R रसीद नं: 861/86014 दि० 19-12-17 की प्रति, उक्त बैंक के रहन मुक्त (आमुक्त) प्रमाण पत्र जारी दि० 19-12-17, फर्द मिलान ग्राम खैराबाद 2004-24, नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2014-2033 खाता नम्बर 401 बाके माल मौजा खैराबाद, नकल जमाबंदी ग्राम खैराबाद संवत 2034-2037 खाता नम्बर 590/2, दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में Land-Reforms & Resump of Jagirs. Act 1952 धारा 9 के क्रम में माननीय न्यायालय के निर्णय के दृष्टान्त पेश किये R.R.D. 1987 पेज 201, एवं जागीर एक्ट के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 16.5.1958 प्रकाशन दिनांक 29.5.58 की प्रति प्रस्तुत की गई। प्रकरण में ग्राम खैराबाद की भूमि खसरा नम्बर 2458 (कबा 3611), भवानीशंकर, मांगीलाल, रामगोपाल पि० सोहनलाल हि० 1/2 मु० जड़ाऊ बेवा	

— क्रमशः —

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कुद	बेवा बद्रीलाल हि० १/२ भा० मुकेश के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर "माफी पुण्यार्थ" (दिनांक १.६.५८) का अंकन है। यह अंकन 2014 से 2033 में दर्ज है। उक्त भूमि संवत २०३४-३७ खाता नम्बर ५८०१२ में रकबा २४।)२ दर्ज हुई। तथा नामा० नं० ८६२ से भड़ाडु का नाम खाते से हटाया गया। नामा० नम्बर ८८१ से ख०नं० २४५८ में से रकबा १२)३ दि० 17.10.82 से खसरा नम्बर २४५८/२ ओमप्रकाश, हरीप्रकाश S/O रमेशचन्द कौम सोनी नि० रामगंजमण्डी के नाम दर्ज की गई। उक्त भूमि के हस्व फर्द मिलान नवीन खसरा नम्बर ३३३०/०.०९, ३३३१/१.६२, ३३३२/०.२४ किता ३ रकबा १.९६ हेक्टर पैमूद किये गये है। उक्त भूमि पर से जागीर एक्ट की धारा ९ के अनुसार माफी का अंकन दि० १.६.१९५८ को ही हट गया था तथा राजस्थान भूमि धृति अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जागीर पुनग्रहण (उन्मूलन) के उपरान्त खुदकाश्त का आसामी खातेदार आसामी हो जाता है। चूंकि वादग्रस्त भूमि के क्रम में जागीर का उन्मूलन हो गया है। अतः उक्त भूमि पर माफी पुण्यार्थ का अंकन मात्र दिखावटी रह गया है। —क्रमशः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	चूंकि वादग्रस्त भूमि पर से भूमि विकास बैंक का रहन का अंकन हटाया जाना प्रक्रियाधीन अवगत कराया है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचारोपरान्त हम वाद वादीगण अंशतः स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः दावा वादीगण अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि वादीगण को ग्राम खैराबाद की भूमि ख० नं० 3230, 3231, 3232 किता 3 रकबा 1.97 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त भूमि पर से "माफी जिस्मद" का अंकन राजस्व अभिलेख से निरस्त किया जाता है। रिकार्ड में अमल-दरामद हो। तदनुसार डिक्री जारी हो। ह० (कृष्णगोपाल जोशी) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी निर्णय आज दिनांक 07/09/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया। ह० उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

Scanned by CamScanner